

संख्या-3807/15-7-161301/99

प्रति,

अधिकांश वन्द्य, मुन्ड,
अनु हाथि,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

शिक्षा,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग क्र-2, बंगला हाउस, मुन्ड,
प्रति विभाग नई दिल्ली ।

श्री 178 अनुमान

मकान: दिन: 05 7- 2001

विषय:- श्री जोरफ स्कूल पुरनपुर पीसीसीसी को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह खबर का निदेश हुआ है कि केन्द्र/राज्य जोरफ स्कूल पुरनपुर पीसीसीसी को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में यह एक राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिकारों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की संरचना कोशायती का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहने और उनसे 30प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 5- संस्था वार्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेगे ।

- 6- कर्मचारियों को सेवा में बनाई जायेगी और उन्हें तदायता प्राप्त अत्यावश्यक उपकरणों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निकाले जायेगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिश्रुतियों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिश्रुतियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की घुट या ग्रीब शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भमदीय,

। अक्षिता पन्त गुप्त ।
अनु सचिव ।

सू.प्र.प-3807111/15-7-88 दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायुक्त सल्ल आवायक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, पीसीसीटी ।
- 4- निरीक्षक, जेम्स भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, जेम्स बोर्ड स्कूल पुरनपुर पीसीसीटी ।
- 6- माहूँ बुक ।

आज्ञा है,

। अक्षिता पन्त गुप्त ।
अनु सचिव ।

Handwritten signature

Principal / Headmaster
St. Joseph's School
Jammu (P.H. Dist)

Handwritten signature

PRINCIPAL
St. Joseph's School
Jammu (P.H. Dist)